

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग।

Speed
post

पत्रांक :- 06 (सू0अधि0) 21/2016 539 (330)/ग्रा0वि0,राँची, दिनांक- 01-02-16

प्रेषक,

आनन्द गोपाल वर्मा,
सरकार के अवर सचिव-सह-
जन सूचना पदाधिकारी।

सेवा में,


जन सूचना पदाधिकारी,
समाहरणालय, राँची।

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत श्री उपेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव को सूचना नहीं उपलब्ध कराने के फलस्वरूप राज्य सूचना आयोग में दायर अपील संख्या-3912/15

प्रासंग :- झारखण्ड राज्य सूचना आयोग का पत्रांक-1972 दिनांक- 20.01.2016


महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र की छायाप्रति संलग्न करते हुए कहना है कि आवेदक श्री उपेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव द्वारा झारखण्ड राज्य सूचना आयोग में दर्ज अपील संख्या-3912/15 के मामले में दिनांक-16.05.2016 को सुनवाई की तिथि निर्धारित है। उक्त पत्र के साथ संलग्न आवेदक के मूल आवेदन की छायाप्रति आपको सम्बोधित है। ऐसा प्रतीत होता है कि आयोग द्वारा भूलवश प्रासंगिक पत्र इस विभाग को प्रेषित किया गया है। अतएव अग्रतर कार्रवाई हेतु प्रासंगिक पत्र आपको अंतरित किया जाता है।


(आनन्द गोपाल वर्मा)
जन सूचना पदाधिकारी-सह-
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :- 06 (सू0अधि0) 21/2016 539 /ग्रा0वि0,राँची, दिनांक- 01-02-16

प्रतिलिपि :- अवर सचिव, झारखण्ड राज्य सूचना आयोग, राँची को उनके पत्रांक-1972 दिनांक- 20.01.2016 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के अवर सचिव।